

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL PROCEDURE
CODE, 1898

In the court of शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 130 / 18

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

1. योगेन्द्र सिंह तोमर पुत्र रणवीर सिंह तोमर निवासी प्रीतराज कॉलोनी पिंटू पार्क
ग्वालियर

The offence complained of, and date of its alleged
commission

आपने दिनांक 17.06.2018 को 23:10 बजे गोहद चौराहा थाने के सामने
गोहद में चैकिंग के दौरान आप शराब के नशे में उक्त वाहन चलाते पाये गये ।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय
अपराध किया । स्पष्ट करें अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों ।

The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक्--

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.06.2018 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत रूपए 2000 के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पन्द्रह दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा स्विफ्ट कार क्रमांक एम पी 07 सी ई 6220 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जावे।

स्थान—भिण्ड

दिनांक— 18.06.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(शिवानी शर्मा)
जेएमएफसी गोहद

(शिवानी शर्मा)
जेएमएफसी गोहद